आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

30-05-2023
08/06/23

वाद सं0–26 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्राम–चेचरिया, पो0–मुरमा, थाना–पाण्डु, मुड़माकलां, पलामू उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। मामले की सुनवाई ऑडियो कॉल से की गई।

आज की सुनवाई में शिकायतकर्ता श्री कुनाल विश्वकर्मा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने आयोग को बताया कि पूर्व में शिकायकर्ता का नाम राशनकार्ड से डीलिट कर दिया गया था। जांच करने पर यह पता चला कि उनका नाम गलत कारणों से डीलिट कर दिया गया था। अतः शिकायतकर्ता को ग्रीन कार्ड निर्गत कर दिया गया है। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि चूँकि अपीलकर्ता ने आयोग को इस आशय की जानकारी दी है कि यदि उन्हें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे भूखे मर सकते हैं। ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को तत्काल शिकायतकर्ता को अनाज उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शिकायकर्ता की भूखसेमौत न हो पाये। यदि राशनकार्ड के माध्यम से अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उन्हें झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग के आदेश के अनुपालन पर सुनवाई 15.06.2023 निर्धारित की जाती है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Court.docx33